न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 51/11

1. रूपकिशोर
2. महेन्द्र कुमार
3. पुखराज
4. रामराज पिसरान प्रेमचन्द जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मुरलीधर
2. श्यामबिहारी
3. रविप्रकाश पिसारान बृजमोहन जाति मीणा निवासीगण आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा
4. रामप्यारी बेवा बृजमोहन निवासी आटोन तहसील दीगोद ।
5. प्रेमचन्द पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. मृतक बिरधी लाल पुत्र माधो लाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   6/1. मदन लाल
   6/2. सत्यनारायण
   6/3. रामेश्वर पिसरान बिरधीलाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 52/11

1. रूपकिशोर
2. महेन्द्र कुमार
3. पुखराज
4. रामराज पिसरान प्रेमचन्द जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मुरलीधर
2. श्यामबिहारी

3. रविप्रकाश पिसारान बृजमोहन जाति मीणा निवासीगण आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा
4. रामप्यारी बेवा बृजमोहन निवासी आटोन तहसील दीगोद ।
5. प्रेमचन्द पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. मृतक बिरधी लाल पुत्र माधो लाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–

6/1. मदन लाल
6/2. सत्यनारायण
6/3. रामेश्वर पिसरान बिरधीलाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 28.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की तथा एक अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते विभाजन प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जाखडोंद तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 115 की 6.69 हैक्टर तथा ग्राम आटोन तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 100 की 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.58 हैक्टर कुल 1.15 हैक्टर तथा ग्राम आटोन में खसरा नम्बर 360 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 365 की 0.11 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 373 की 0.35 हैक्टर कुल 0.57 हैक्टर आराजी वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादीगण का 1/4, तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/4 एवं प्रतिवादी कम 02 का 1/2 हिस्सा है । ग्राम जाखडोद में खसरा नम्बर 131 की 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 की 0.63, खसरा नम्बर 292 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 की 2.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 की 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 की 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 353/550 की 0.38 हैक्टर कुल 07 किता की कुल 6.65 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी मथुरा लाल आत्मज माधोलाल जी की तन्हा खातेदारी में दर्ज थी । मथुरालाल जी का स्वर्गवास दिनांक 17.05.97 को हो चुका है । उक्त

भूमि में वादीगण 1/2 तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खाते में दर्ज है । उक्त भूमियॉ सम्मिलित खाते में होने से, लगान अदा करने में तथा भूमि के सुधार करने में परेशानी होती है । वादीगण वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराना चाहते हैं जिसका उन्हें विधिक अधिकार है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को दोनों ग्रामों की आराजी में 1/4 हिस्से से विभाजन किया जावे तथा ग्राम आटोन की वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी में वादीगण के 1/2 हिस्से से विभाजन किया जाकर भूमि अलग– अलग खाते में दर्ज की जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2009 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 01.07.2009 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 4 लगायत 7 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत, असत्य एवं झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था जो स्वीकार योग्य नहीं था । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के परिवार में स्व0 माधोलाल की तीन लडके थे जिसमें किशन लाल लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उनके वारिस मथुरा लाल व बिरधीलाल रहे । पैतृक सम्पत्ति जो माधोलाल से आयी थी पारिवारिक शजरा अपील के साथ संलग्न है । खसरा नम्बर 115 की रकबा 6.69 हैक्टर ग्राम जाखडोंद की भूमि स्व0 माधो लाल द्वारा क्रय की गई थी वह स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसे उन्होंने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को वसीयत कर दी थी जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त हैं । स्व0 किशनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है जिनके प्रथम श्रेणी के कोई वारिस अधिकारी नहीं होने से उनकी कृषि भूमि उनके द्वितीय श्रेणी के वारिस मथुरा लाल व बिरधी लाल के वारिसान होंगे । जो भूमि स्व0 गुलाब बाई बेवा किशन लाल के नाम से आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है जो पारिवारिक सम्पत्ति है जिसे वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद में शामिल नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2009 एवं 01.07.2009 निरस्त फरमाये जावें ।

7. दोनों अपीलों में अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु श्री शिवेश्वर सिंह पंवार को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिन्होंने प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मना किया हुआ था और आवश्यकता होने पर सूचना देने के लिए कहा था परन्तु श्री शिवेश्वर सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया जिससे अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.01.2011 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 के द्वारा एक दावा विभाजन का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसे विधि–विरूद्ध रूप से डिक्री किया गया है । स्व0 माधोलाल के 03 लडके हुए मथुरा लाल, बिरधी लाल एवं किशनलाल इनमें से किशनलाल लाऔलाद फौत हुआ था उनके वारिस मथुरा लाल एवं बिरधीलाल हैं । पैतृक सम्पत्ति माधो से आई थी । खसरा नम्बर 115 रकाब 6.69 हैक्टर आराजी माधोलाल की कयशुदा आराजी थी और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के नाम वसीयत की थी । वसीयती उत्तराधिकारी होने के नाते अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज है । जो कृषि आराजी गुलाब बाई बेवा किशन लाल के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है वो पारिवारिक सम्पत्ति है जिसको बंटवारे के दावे में शामिल नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं था फिर भी डिक्री किया गया है । बिरधीलाल का स्वर्गवास दिनांक 17.02.2009 को हो गया था । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2009 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलान्ट का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था न तो उनके द्वारा कोई वसीयत पेश की गई और न ही उसको प्रमाणित करवाया है । संयुक्त खाते में दर्ज आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है जो विधि सम्मत है । दोनों अपीलें काफी विलम्ब से पेश की गई हैं और विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.04.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2009 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार आटोन में नया खाता संख्या 88 में कुल 03 किता की 0.57 हैक्टर आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 2 नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 संलग्न है जिसके

अनुसार ग्राम जाखडोंद में नया खाता संख्या 147 की खसरा नम्बर 115 रकबा 6.69 हैक्टर आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 27.04.1998 से मृतक मथुरा लाल के स्थान पर प्रेमचन्द पुत्र मथुरा लाल हिस्सा 1/4, मुरलीधर नाबालिग श्याम मुरारी नाबालिग रवि प्रकाश पुत्र रामप्यारी बेवा बृजमोहन हिस्सा 1/4 दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम आटोन की नया खाता संख्या 87 में कुल 02 किता की 1.15 हैक्टर आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 27.04.1998 से मृतक मथुरा लाल के स्थानर पर प्रेमचन्द पुत्र मथुरा लाल हिस्सा 1/4, मुरलीधर नाबालिग श्याम मुरारी नाबालिग रवि प्रकाश पुत्र रामप्यारी बेवा बृजमोहन हिस्सा 1/4 दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 86 में कुल 07 किता की 6.65 हैक्टर भूमि मथुरा लाल बेटा माधो के खाते में दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 71 का नोट अंकित है । पत्रावली पर एक वसीयत की फोटो प्रति भी संलग्न है परन्तु इसे प्रदर्शित नहीं करवाया गया है ।

13. प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें कोई काउन्टर क्लेम नहीं है । उनके द्वारा न तो वसीयत परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश की गई है व न ही उसे प्रमाणित करवाया है । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा वसीयत के आधार पर जो सहायता चाही जा रही है वो प्रदान नहीं की जा सकती ।

14. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट के द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि बिरधीलाल का दिनांक 17.02.2009 को देहान्त हो गया है जबकि डिक्री दिनांक 30.04.2009 को पारित की गई है । इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के द्वारा बिरधीलाल की मृत्यु की कोई सूचना नहीं दी गई है और बिरधीलाल के वारिसान के द्वारा इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण को इस बाबत् आपत्ति करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें काई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री 30.04.2009 सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

15. जहॉ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं उसका अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किये गये हैं और तहसीदार दीगोद को अग्रेषित किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियमों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त प्रतिवादीगण अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी नहीं हैं न ही यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । इस प्रकार अंकित डिक्री जारी करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । तद्नुसार अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री संख्या 51/11 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.04.2009 बहाल रखा जाता है । अपील अपीलान्ट विरूद्ध अंतिम डिक्री संख्या 52/11 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा